UPGZ010205542022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारीः आलोक पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा।

JO Code– 5965

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–6957/2022

कम्प्यूटर पंजीयन संख्याः –10289/2022

CNR No: UPGZ010205542022

सन्दीप पुत्र फकीरचन्द निवायी नीयर 60 फुटा रोड श्री सैंन स्कूल के पास नाईपुरा , लोनी बार्डर , गाजियाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

18– 10–.2022

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सन्दीप की ओर से मु० अ० सं० 393/ 2022 धारा 457, 380, 411 भा० दं० सं० थाना लोनी बार्डर, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा इरशाद द्वारा दिनांक 11–06–2022 को प्रथमसूचना रिपोर्ट थाना लोनी बार्डर पर इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसकी दुकान विधायक मार्किट 2 नम्बर बस स्टैण्ड किराये की दुकान ऑल टाइप मोबाईल रिपेयरिंग सोप्रसन के नाम से है। दिनांक 08–06–2022 की रात्रि में दुकान का तोला तोडकर दुकान के अन्दर से 25 से 30 पुराने मोबाईल फोन चोरी हो गये है। मोबाईल फोन चोरी होने के बाद अब तक वह चोरों के बारे में जानकारी करता रहा। आज दिनांक 11–06–2022 को पता चला कि उसकी दुकान से नितिन, संदीप एवं राकेश ने मिलकर उपरोक्त मोबाईल चोरी किये है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त का कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त उक्त केस की घटना स्थल पर नहीं पकडा गया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। जो बरामदगी दिखायी गयी है उससे अभियुक्त का कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं है। , अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अभियुक्त के जमानत

प्रार्थना पत्र पर विरोध किया गया ।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथमसूचना विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसमें अधिकतम सात वर्ष के दण्ड का प्रावधान है। अभियुक्त दिनांक 12–06–2022 से जेल में निरूद्ध है। मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त संदीप की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा 50,000/–(पचास हजार)रूपये का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानत विद्वान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(आलोक पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2,गाजियाबाद।

दिनांकः 18–10– 2022